1	2	3	4	5
गुजरात	529	293	16156	31.3.95
हरियाणा	53	1053	9020	30.9.95
हिमाचल प्रदेश	161	758	1248	30.6.95
जम्मू और कश्मीर	32	10	237	31.12.94
कर्नाटक	454	1003	11008	31.3.95
केरल	335	1495	8072	30.6.95
मध्य प्रदेश	82	631	10941	30.6.95
महाराष्ट्र	890	2437	13881	30.6.95
मणिपुर	1	24	19	30.6.95
मेघालय	8	7	55	30.6.95
मिजोरम	0	0	7	30.6.95
नागालैण्ड	4	0	7	30.9.94
उड़ीसा	555	932	4041	30.6.95
पंजाब	120	7	3859	30.9.94
राजस्थान	2737	2773	11984	30.9.95
सिक्किम	0	0	8	30.6.95
तमिलनाडु	270	689	8600	30.6.95
त्रिपुरा	4	14	168	31.3.95
उत्तर प्रदेश	850	6226	38434	31.12.94
पश्चिम बंगाल	2110	272	13979	30.9.95
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6	4	11	30.9.95
चंडीगढ़	263	57	2912	30.6.95
दादरा व नगर हवेली	0	0	9	31.12.94
दमण व दीव	0	0	16	30.9.94
दिल्ली	951	1144	9315	30.9.95
लक्षद्वीप	0	0	1	30.6.95
पांडिचेरी	7	3	209	30.9.95
योग:	11713	21989	189053	

भारतीय खाद्य निगम के तहत उच्च-स्तरीय समिति

2136. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के तहत एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था जो खाद्यान्नों के आयात और निर्यात के संबंध में भी निर्णय लेती है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इन सदस्यों को समिति में चुनते समय क्या मानदंड अपनाया गया;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा हाल ही के महीनों में किये गये निर्यात के कारण निगम को लगभग 200 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या निगम में मनोनीत सदस्यों ने भी इस उच्च-स्तरीय समिति के विघटन के लिये आग्रह किया है यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) उच्च-स्तरीय समिति का पुनर्गठन करने संबंधी दिनांक 4.12.1995 के आदेश की प्रति संलग्न है **(नीचे देखिए)**। समिति का पुनर्गठन इस लिए किया गया है ताकि घरेलू उपयोग अथवा निर्यात करने के लिए खुली बिक्री से संबंधित प्रमुख अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। यह खाद्यान्नों के आयात से संबंधित नहीं है।

(ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का सीधे निर्यात नहीं कर रहा है। यह निर्यातकों को उस मूल्य पर चावल की बिक्री करता है जो सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं और घरेलू खपत के लिए की जा रही खुली बिक्री से अधिक होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार को निगम के निदेशक मंडल के नामित सदस्य से समिति का पुनर्गठन करने के लिए कुछ सुझाव मिले हैं जिसमें उन्होंने उत्पादकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों, मिल-मालिकों आदि के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का सुझाव दिया है। तथापि, समिति के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा गया है।

विवरण

संख्याः 4-1/95-इम्पैक्स (वाल्यूम-I)
भारत सरकार
खाद्य मंत्रालय
खाद्य प्रापण और वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 95

कार्यालय आदेश

इस विभाग के दिनांक 17.11.1995 के समसंख्यक कार्यालय आदेश द्वारा घरेलू खपत और निर्यात के लिए गेहूं और चावल की खुली बिक्री से संबंधित भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत गठित की गई दो उच्च स्तरीय समितियों को मिलाकर भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बना दिया गया है जिसमें कार्यकारी निदेशक, बिक्री/वाणिज्य/वित्त/ट्रैफिक, भारतीय खाद्य निगम सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

2. इस मामले पर पुनः विचार किया गया है और खाद्य मंत्री की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया है कि उच्च स्तरीय समिति के गठन में परिवर्तन किया जाए। तदनुसार, दिनांक 17.11.1995 के कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए समिति का परिवर्तित स्वरूप निम्नानुसार होगाः—

1. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम	अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम	सदस्य
3. आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4. रेल बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (खाद्य), खाद्य प्रापण और वितरण विभाग	सदस्य

3. पुनर्गठित उच्चस्तरीय समिति समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम को जारी किए गए सरकारी अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार घरेलू खपत और निर्यात के प्रयोजन के लिए गेहूं और चावल, दोनों की खुली बिक्री के संबंध में दरों/समझौतों/ठेकों आदि सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सरकार के अंतिम आदेश/निर्णय के लिए सिफारिशें देगी।

हस्ता०/-
(डी० सुधाकरन)
अवर सचिव, भारत सरकार।

Implementation of Orders for Revision of Grades in Super Bazar

2137. **SHRI GOVINDRAM MIRI:** Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the Super Bazar's Sales Assistants Federation has urged the Government to implement the orders of the High Court and Central Administrative Tribunal (CAT) regarding the revision of grades;